न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 46/2017
अपीलांट

1. खीमाराम पुत्र भारता उम्र 58 वर्ष
2. निम्बाराम पुत्र भारता, उम्र 55 वर्ष
3. मानाराम पुत्र भारता उम्र 47 वर्ष
4. सुकीदेवी पत्नी भारता, उम्र 78 वर्ष, जातियान रेबारी, निवासीगण कोमता, तहसील सायला व जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

श्रीमती कवली बेवा करनाजी फौत के कायम मुकाम–

1. मकनाराम पुत्र करनाजी
2. भीमाराम पुत्र करनाजी, जातियान रेबारी, निवासीगण कोमता, तहसील सायला व जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सिकन्दर सैयद अली, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व02 की ओर से।

<u>अपील संख्या : 47/2017</u>
अपीलांट

1. खीमाराम पुत्र भारता उम्र 58 वर्ष
2. निम्बाराम पुत्र भारता, उम्र 55 वर्ष
3. मानाराम पुत्र भारता उम्र 47 वर्ष
4. सुकीदेवी पत्नी भारता, उम्र 78 वर्ष, जातियान रेबारी, निवासीगण कोमता, तहसील सायला व जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

श्रीमती कवली बेवा करनाजी फौत के कायम मुकाम–

1. श्रीमती मूली बेवा पदमाजी
2. बगदाराम पुत्र पदमाजी जातियान रेबारी, निवासीगण कोमता, तहसील सायला व जिला जालोर।

राजस्व अ. प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सिकन्दर सैयद अली, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व02 की ओर से।

<u>अपील संख्या : 45/2017</u>

अपीलांट

1. खीमाराम पुत्र भारता उम्र 58 वर्ष
2. निम्बाराम पुत्र भारता, उम्र 55 वर्ष
3. मानाराम पुत्र भारता उम्र 47 वर्ष
4. सुकीदेवी पत्नी भारता, उम्र 78 वर्ष, जातियान रेबारी, निवासीगण कोमता, तहसील सायला व जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

श्रीमती कवली बेवा करनाजी फौत के कायम मुकाम–

1. श्रीमती पूनी बेवा जीवाजी
2. मांगाराम पुत्र जीवाजी जातियान रेबारी, निवासीगण कोमता, तहसील सायला व जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

3. श्री सिकन्दर सैयद अली, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
4. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व02 की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 13.05.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/08, 53/2008, एवं 54/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम कोमता के खसरा नंबर 1229/1412 रकबा 0.15 हैक्टेयर खसरा नंबर 1230/1413 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1231/1414 रकबा 0.12 हैक्टेयर के सबंध में खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उसके पश्चात दिनांक रेस्पोडेन्टगण द्वारा दिनांक 04.08.2016 को दावे में संशोधन करने का निवेदन किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा वर्तमान खसरा नंबर 1229/1412 रकबा 0. 15 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 1229 रकबा 2.48 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1230/1413 रकबा 0.13 हैक्टेयर, तथा खसरा नंबर 1230 रकबा 2.22 हैक्टेयर खसरा नंबर 1231/1414 रकबा 0.12 तथा खसरा नंबर 1231 रकबा 2.40 हैक्टेयर पुराने खसरा नंबर 454 से बनने के कारण एक प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उक्त आराजीयात को रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज करने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अतिक्ति संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा उक्त खसरान का पृथक अस्तित्व मानते हुए निर्णय पारित किया गया था। जिसे माननीय राजस्व मंडल द्वारा भी यथावत रखा गया था। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर खसरा नंबर 1229/1412 रकबा 0.15 हैक्टेयर खसरा नंबर 1230/1413 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1231/1414 रकबा 0.12 पुराने खसरा नंबर 453 से बनना मिलान क्षेत्रफल से स्प ट है जबकि रेस्पोडेन्ट की पुरानी खातेदारी आराजी के खसरा नंबर 454 है। वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांटगण का पुश्तैनी रूप से लगातार कब्जा काश्त हैं। रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी हक घोषणा चाही है, जिससे राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार है फिर भी राज्य सरकार को बिना नोटिस दिये बिना पक्षकार बनाये वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा गलत मौका रिर्पोट के आधार पर बिना साक्ष्य सबूत लिये, बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए लोक अदालत कैम्प में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नही है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम कोमता के खसरा नंबर 1229/1412 रकबा 0.15 हैक्टेयर खसरा नंबर 1230/1413 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1231/1414 रकबा 0.12 हैक्टेयर के सबंध में खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उसके पश्चात दिनांक रेस्पोडेन्टगण द्वारा दिनांक 04.08.2016 को दावे में संशोधन करने का निवेदन किया। जिसे

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्टगण का पीढीयो से कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा उक्त आराजीयात के संबध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 88, 188 का वाद खातेदारी घोषणा के सबंध में प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उसके पश्चात प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री बसंत कुमार गहलोत एवं वकील श्री जगदीश चारण ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाबदावा प्रस्तुत किया। उक्त जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई। उसके पश्चात रेस्पोडेन्टगण/वादीगण द्वारा दिनांक 04.08.2016 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा सी.पी.सी के तहत प्रस्तुत किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को एमेन्ड करने की अनुमति प्रदान की गई। उसके पश्चात दिनांक 05.06. 2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 मे ग्राम पंचायत कोमता में पत्रावली पेश हुई। जिसमे दोनो पक्षो की सहमति से दिनांक 28.06.2017 का गठित टीम मौके पर जाकर लोक अदालत न्याय आपके द्वार पंचायत मुख्यालय कोमता में पहुचकर विवादित खसरो का सीमा ज्ञान किया। उसके पश्चात दिनांक 28.07.2017 को वकुलाय वकीलो के निवेदन पर न्यायालय स्वंय द्वारा मौके पर उपस्थित रहकर सीमा ज्ञान की कार्यवाही दोनो पक्षो की उपस्थिति में व राजस्व कर्मियो की टीम के सहयोग से सीमा ज्ञान की कार्यवाही की गई। उसके पश्चात उक्त मौका रिर्पोटो के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्टगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम कोमता के खसरा नंबर 1229/1412 रकबा 0.15 हैक्टेयर खसरा नंबर 1230/1413 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1231/1414 रकबा 0.12 हैक्टेयर के सबंध में खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उसके पश्चात रेस्पोडेन्टगण/वादीगण द्वारा दिनांक 04.08.2016 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा सी.पी.सी के तहत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को एमेन्ड करने की अनुमति प्रदान की गई। उसके पश्चात वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न में फर्द दिनांक 05.06.2017 अनुसार "आज दिनांक 05.06.2017 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार पंचायत मुख्यालय कोमता में पत्रावली संख्या 40/2010 प्रस्तुत हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित। दोनो पक्षो को लोकअदालत की भावना से अवगत करवाते हुए प्रकरण को आपसी राजीनामा से निस्तारण करने हेतु समझाया गया। दोनो पक्ष इस बात पर सहमत हुए खातेदारी भूमि का नाप गत सेटलमेंट के नक्शे के आधार पर नाप किया जावे तथा नाप करने हेतु कोमता पटवारी व आर.आई के

राजस्व अ.प्राधिकारी
पाली

अलावा अन्य सर्कल के पटवारी व आर.आई. से नाप करवाया जावे, जो नाप आयेगा, उसी अनुरूप हम कायम रहेगे।" का अंकन है। उक्त फर्द पर अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण के हस्ताक्षर है। जिससे अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर एवं राजीनामे से संबधित बिन्दु गौण हो जाता है। उसके पश्चात दिनांक 28.07.2017 को बहस के दौरान वकुलाय वकीलो के निवेदन पर दिनांक 24.08.2017 को न्यायालय स्वंय द्वारा ग्राम कोमता में मौके पर उपस्थित रहकर सीमा ज्ञान कार्यवाही दोनो पक्षो की उपस्थिति में व राजस्व कर्मियो की टीम के सहयोग से सीमा ज्ञान की कार्यवाही की गई। उक्त सीमाज्ञान में खसरा नंबर 1229/1412 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1230/1413 रकबा 0.13 हैक्टेयर व 1231/1414 रकबा 0.12 हैक्टेयर भूमि पूर्व सेटेलमेंट में पुराने खसरा नंबर 454 रकबा 43 बीघा 17 बिस्वा का भाग पाया गया। उक्त मौका रिर्पोटो एवं सीमाज्ञान के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 45/2017, 46/2017 एवं 47/2017 खारिज की जाती है। तथा सहायक कलक्टर सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/08, 53/2008, एवं 54/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2017 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। मूल निर्णय की प्रति संबधित प्रकरण संख्या 45/2017 एवं 47/2017 के साथ संलग्न की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली